epaper
हिन्दुस्तान

प्रवासी भारतीयों के लिए ऑनलाइन वोटिंग के विकल्प पर काम शुरू

28/03/2022

•श्याम सुमन

मतदाता सूची को आधार कार्ड से लिंक करने के बाद निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन मतदान को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, पहले यह विकल्प प्रवासी भारतीयों के लिए होगा।

आयोग का कहना है कि जब हम देश-विदेश ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, आयकर भरते हैं, रेल/एयर टिकट बुक कराते हैं, ऑनलाइन प्रवेश परीक्षाओं समेत कई काम करते हैं तो मतदान क्यों नहीं कर सकते। लेकिन, इसके लिए पुख्ता, पारदर्शी और हैकप्रूफ व्यवस्था जरूरी है। इस पर आयोग काम कर रहा है।

सूत्रों के अनुसार, शहरी मतदाता वोट देने नहीं निकलता, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था हो तो वह वोट जरूर देगा। अभी 60 लोग ही देश में सरकार चुनते हैं, शेष वोट ही नहीं देते। प्रवासियों को ऑनलाइन वोटिंग के लिए इसलिए चुना जाएगा, क्योंकि वे टेक सेवी और सतर्क नागरिक हैं। आयोग ने सलाह दी है कि वह प्रवासी भारतीयों के छोटे समूह से यह प्रयोग करा सकता है।

पहल

25 हजार प्रवासियों ने वोटिंग को पंजीकरण कराया था 2019 में

ये है स्थिति

विदेशों में रहने वाले भारतीय: लगभग दो करोड़

मतदान के योग्य: लगभग 1.25 लाख (जिन्होंने अपनी नागरिकता नहीं छोड़ी)

वोटिंग का अधिकार: 2011 में मिला

प्रॉक्सी बैलेट: बिल 2017 में लोकसभा से पास हुआ था, लेकिन समाप्त हो गया